न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 2024/73

दायर दिनांक : 27.05.2022

प्रताप पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू

–अपीलाण्ट–

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. लालचन्द पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. मोहरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. शिवनारायण पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

–रेस्पोडेण्टस्

6. ओमवती पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
7. पवनकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
8. सुशीला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू

–गौण रेस्पोडेण्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट

उपस्थित–

1. श्री जगदीश प्रसाद कस्वां एड. अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री बजरंगलाल शर्मा एड. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ता 04 की ओर से।
3. राज पैरोकार रेस्पोडेण्ट संख्या 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 08.08.2025

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर सुनवाई की गई। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार तारानगर के द्वारा प्रकरण संख्या 07/2019 अनुवानी अमरसिंह बनाम प्रताप में दिनांक 25.04.2022 को निर्णय पारित किया जाकर वादगत खेत खसरा 403 रोही मौजा भलाउ ताल में स्थित है जबकि अपीलाण्ट व गौण रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 की कृषि भूमियां खसरा संख्या 525/56, 526/56 व 14 ग्राम पण्डरेउ टिब्बा की रोही में स्थित है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 की कृषि भूमि खसरा संख्या 403 रोही मोजा भलाउ ताल में से कटाणी रास्ता गुजरता है जिससे उक्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदारान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 की सदैव से आवागमन का रास्ता रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अपीलाण्ट व गौण रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 की कृषि भूमि खसरा संख्या 525/56, 526/56 व 14 रोही मोजा पण्डरेउ टिब्बा में से प्रचलित रास्ता होने के झूठे कथन करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवरी व भू अभिलेख निरीक्षक से झूठी रिपोर्ट तैयार करवाकर निर्णय पारित करवा लिया जो खारिज योग्य है। जब किसी खातेदार की कृषि भूमि में से रिकॉर्डेड रास्ता गुजरता है तो वह खातेदार सुविधा के आधार पर नया रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ऐसे ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 जिनकी कृषि भूमि खसरा संख 403 की सींव में से चिपता हुआ कटाणी रास्ता

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

गुजरता है अब नया रास्ता प्राप्त करने के लिए झूठी व गलत आधारों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है अपीलाण्ट की तामील चस्पांदगी से झूठी दिखाकर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा झूठी मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक से मगंवा कर उसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट व गौण रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 525/56 व 526/56 व 14 रोही मोजा पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर में से कभी भी कोई रास्ता आवागमन हेतु रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता 4 का नहीं रहा है ना ही मौके पर रास्ता मौजूद है ना ही मौके पर रास्ते के निशान हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर बहस अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर द्वारा पारित निर्णय होने के कारण इसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.22 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ता 04 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या 5 राज पैरोकार उपस्थित।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अपीलाण्ट व गौण रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 की कृषि भूमि खसरा संख्या 525/56, 526/56 व 14 रोही मोजा पण्डरेउ टिब्बा में से प्रचलित रास्ता होने के झूठे कथन करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक से झूठी रिपोर्ट तैयार करवाकर निर्णय पारित करवा लिया जो खारिज योग्य है। जब किसी खातेदार की कृषि भूमि में से रिकॉर्डेड रास्ता गुजरता है तो वह खातेदार सुविधा के आधार पर नया रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ऐसे ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 जिनकी कृषि भूमि खसरा संख 403 की सींव में से चिपता हुआ कटाणी रास्ता गुजरता है। अपीलाण्ट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है अपीलाण्ट की तामील चस्पांदगी से झूठी दिखाकर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा झूठी मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक से मगंवा कर उसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट व गौण रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 525/56 व 526/56 व 14 रोही मोजा पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर में से कभी भी कोई रास्ता आवागमन हेतु रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ता 4 का नहीं रहा है ना ही मौके पर रास्ता मौजूद है ना ही मौके पर रास्ते के निशान हैं। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने बहस के अन्त में तहसीलदार तारानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 2001 Page No 116, RRD 2001 Page 118, RRD 2001 Page 107, RRD 2006 Page 44 की प्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की जाकर ससम्मान अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेण्ट्स अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर पक्षकारान को सम्मन जारी किया जिस पर उक्त सम्मन चस्पांदगी के जरिये अप्रार्थीगण की तामील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई बावजूद तामील अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के साक्ष्य मे

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

शपथ–पत्र लेकर बयान करवाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। राजपैरोकार ने प्रकरण में नियमानुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक मनन किया गया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण प्रताप, ओमपती, पवन कुमार तथा सुशीला को दिनांक 11.12.2019 को नोटिस जारी कर आगामी तारीख 26.12.2019 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। उक्त नोटिस की तामील के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण घर पर मौजूद नहीं थे किसी काम से बीकानेर गये हुए थे जिसके कारण तामील कुनिन्दा ने उक्त नोटिस की प्रति चस्पा कर दी। उक्त नोटिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अगर अप्रार्थीगण गावं में निवास नहीं कर रहे तो फिर नोटिस चस्पांदगी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है और ना ही उक्त नोटिस पर जिनके समक्ष उक्त नोटिस चस्पा किया उन दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर हैं और ना ही तामिल कुनिन्दा के हस्ताक्षर हैं एवं ना ही न्यायालय का चस्पांदगी का आदेश है। ऐसी स्थिति में उक्त अवैध तामील के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही अनुचित है। उक्त तामील को आदेश 5 नियम 19, 20 एवं 21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं मानी जा सकती है एवं इन प्रावधानों के विरूद्ध तामील हुई है। अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण पर उक्त नोटिस की उपरोक्तानुसार विधिवत तामील नहीं होने से परीक्षण न्यायालय में उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उसके विरूद्ध एकतरफा निर्णय दिनांक 25.04.2022 पारित किया गया है जो न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक से प्रकरण में रिपोर्ट मंगवाई उस पर भी किसी मौजिक व्यक्तियों या अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं रही है। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त भी लगभग हस्तगत प्रकरण जैसे ही हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार तारानगर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2019 अनुवानी अमरसिंह आदि बनाम प्रताप धारा 251 आर. टी. एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 को अपास्त किया जाता है। तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तारानगर को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में साक्ष्य व सबूत लेकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू